छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

संपदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र – ....

‘‘प्रथम आओं प्रथम पाओं योजना’’
छूट योजनांतर्गत केवल निर्मित संपत्तियों के लिए
आवासीय भवन/फ्लैट, पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र

विज्ञापन अनुसार पंजीयन अवधि .... से ....

श्री/श्रीमति .... को यह आवेदन पत्र रसीद क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा ....में प्रस्तावित योजना के अंतर्गत .... भवन के पंजीयन के लिए ई.डब्ल्यू.एस. हेतु रु. 200.00, एल.आई.जी. हेतु रु. 300.00 एम.आई.जी. हेतु रु. 800.00 एच.आई.जी. हेतु रु. 1000.00 भुगतान(जी.एस.टी. अतिरिक्त देय) प्राप्त कर प्रदान किया जाता है।

संपदा अधिकारी/संपदा प्रबंधक
प्रक्षेत्र/कार्यालय ....

प्रति,
संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–...........

पंजीयन क्रमांक :– ....
भवन क्रमांक :– ....

महोदय,

मैं एकमुश्त योजनान्तर्गत .... में निर्मित/निर्माणाधीन भवन/फ्लैट आबंटन के लिए पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंजीयन स्वीकार करने की कृपा करें। जिसकी विज्ञापित मूल्य रु. .... है ।

आवेदक के संबंध में विस्तृत विवरण

फोटो

1. आवेदक का नाम :...
2. पिता/पति का नाम :...
3. जन्म तिथि :..आयु.......................................
4. पूर्ण पता :...
5. आधार कार्ड नं. :..
6. ई–मेल आईडी :..
7. फोन नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) :दूरभाष (निवास)..........................(कार्या.)..................
:मो. नं. ....

8. आवेदक का बैंक खाता विवरण :बैंक खाता क्र. ....
:शाखा का नाम..
IFSC/PFC Code……………………………………

9. व्यवसाय :..

10. वार्षिक आय **:अ)** व्यक्तिगत..
(LIG/EWS भवनों के समस्त एवं भाड़ा क्रय) **:ब)** परिवार ....
योजनांतर्गत हितग्राहियों हेतु अनिवार्य)

11. वर्ग (आरक्षित वर्ग के हितग्राही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करें):................

12. आवेदक द्वारा नामित व्यक्ति का नाम :....................माता/पिता/पुत्र/पत्नी/पुत्री/अन्य...............
:उम्र...................................संबंध...............................
:पता...
:...

आवेदक द्वारा घोषणा

मेरे/हमारे द्वारा इस आवेदन–पत्र के साथ संलग्न मण्डल के नियम तथा योजना से संबंधित विवरण/शर्तो की जानकारी प्राप्त कर ली गई हैं। पंजीयन/भवन आबंटन प्राप्त ना होने पर मेरा/हमारा कोई दावा नहीं होगा। संलग्न नियम शर्तो पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए है।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :–

1. आवेदक का फोटो।
2. आवेदनकर्ता का पता संबंधित पहचान पत्र।
3. बैंक पास बुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक अंकित हो।
4. आवेदक यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहा हैं, उसका प्रमाण–पत्र।
5. आय प्रमाण–पत्र (ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों के हितग्राहियों हेतु।
6. निर्धारित प्रारुप में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र
7. पंजीयन राशि रू.................................बैंकर्स चेक/बैंक ड्रॉफ्ट/चालान क्रमांक................................
   दिनांक...............................बैंक का नाम...शाखा का नाम...............

स्थान ....

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम..

कार्यालय उपयोग हेतु

उपरोक्त आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेजों की जॉच की गई/आवेदक का पंजीयन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जावें।

संपदा अधिकारी/संपदा प्रबंधक
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–...........

भवन आबंटन संबंधी नियम/शर्तो

1. भवन के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र सूचना केन्द्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल शंकर नगर, रायपुर/ पर्यावास भवन नवा रायपुर अटल नगर/संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र ..../कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग......... से EWS हेतु रू. 200/- LIG 300/- तथा MIG हेतु रू. 800/- HIG हेतु रू. 1000/- नगद भुगतान (जी.एस.टी. अतिरिक्त देय) कर प्राप्त कर सकेंगे ।
2. आवेदन पत्र के साथ ई.डब्ल्यू.एस. हेतु रू.25,000 तथा एल.आई.जी. भवन हेतु रू.50,000 एम.आई.जी./एच.आई.जी. श्रेणी के भवनों के मूल्य का 10 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ जमा किया जाना है। राशि बैंकर्स चैक/डी.डी./RTGS के माध्यम से सूचना केन्द्र, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र .. ../कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग .... में जमा किये जावेगें।
3. मण्डल द्वारा चिन्हित परियोजनाओं में भवन का आबंटन लॉटरी पद्धति से ना कर प्रथम आओं-प्रथम पाओं के आधार पर आवेदकों की स्वेच्छा अनुरुप किया जावेगा।
4. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की प्रस्तावित एकमुश्त आधार योजनांतर्गत ई.डब्ल्यू.एस., एल. आई.जी., एम.आई.जी. एवं एच.आई.जी. भवन पर पात्र आवेदकों को योजनांतर्गत ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा सकता है।
5. विक्रय किये गए भवन यदि मरम्मत योग्य हो तो मण्डल द्वारा मरम्मत कर आधिपत्य दिया जावेगा। यथा स्थिति या जहा है जैसा है आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध भवनों का मरम्मत मण्डल द्वारा नही किया जावेगा।
6. प्रत्येक आबंटी के नाम से खाता लेजर संधारित किया जावेगा, जिससे विक्रित भवन/प्रकार/क्रमांक भवन की स्थिति जैसे-बेटर लोकशन, कार्नर तथा मूल्य आदि का विवरण दर्शाया जावेगा। यह विवरण मण्डल की वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन भी उपलब्ध होगा।
7. LIG के लिए आवेदक कि वार्षिक आय सीमा रु. 6,00,000/- तक (रुपये छः लाख तक) (अधिकतम) एवं EWS के लिए वार्षिक आय सीमा रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख तक) (अधिकतम) पात्रता माप दण्ड है। LIG एवं EWS के हितग्राहियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।
8. पंजीयन राशि स्वीकृत पश्चात् अथवा भवन आबंटन पश्चात् जमा राशि वापस चाहने पर मूल्य चालान/ रसीद प्रस्तुत करने पर पंजीयन राशि का 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) कटौती की जाकर शेष राशि वापस की जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नही होगा।
9. निर्मित भवनों के आबंटन आदेश जारी होने से 60 दिवस के अन्दर शेष राशि जमा करनी होगी।
10. इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूखण्डों एवं भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालयों के नियमों के तहत् किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राहियों को वहन करना होगा एवं फ्री-होल्ड की कार्यवाही आबंटी स्वयं के व्यय से करेंगे।

11. जहां प्रकोष्ठ भवनों में भूतल पर कव्हर्ड पार्किंग का प्रावधान रखा गया हैं, उसका उपयोग संबंधित ब्लॉक के आबंटी सामूहिक रूप से बिना विवाद करेंगे।
12. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं.,ई–मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।
13. उक्त योजनांतर्गत मण्डल द्वारा समय–समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्ते को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।
14. आधिपत्य आदेश जारी होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि आधिपत्य नहीं प्राप्त करते हैं तो भवन में सुरक्षा हेतु मण्डल के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा।
15. बकाया राशि समय पर जमा नही होने की स्थिति में मण्डल पंजीयन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
16. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था सें भवन क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते है, उन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण–पत्र (NOC) मांग अनुसार प्रदाय किया जावेगा। किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
17. यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से स्व–वित्तीय योजनांतर्गत किश्तें जमा करने के लिए हितग्राही द्वारा समयावधि बढ़ाई जाने की मांग की जाती हैं तो उक्त बढ़ाई गई अवधि के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित ब्याज हितग्राही को जमा करना होगा।
18. भवन के विज्ञापित मूल्य के अतिरिक्त कार्नर चार्ज, बेटर लोकेशन राज्य शासन के अन्य प्रभार एवं नल कनेक्शन प्रभार नियमानुसार आबंटन/आधिपत्य पुर्व पृथक से देय होगा। स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा जी.एस.टी. अथवा अन्य शुल्क प्रभारित किया जाता है तो वह भी पृथक से नियमानुसार देय होगे।
19. हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
20. पंजीयन एव किश्तों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी ।
21. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र/संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र ..../ कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग .... कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं एवं मण्डल के वेबसाईट **www.cghb.gov.in** के अंतर्गत **समृद्धि ऑनलाईन** (**Samriddhi online**) में देखी जा सकती हैं।
22. भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा ।
23. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन ,अटल नगर/ छत्तीसगढ़ रेरा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

24. मण्डल में प्रचलित अन्य नियम भवन आधिपत्य के पश्चात् या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होगे उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।

संपदा अधिकारी/संपदा प्रबंधक
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र ....

आवेदक द्वारा घोषणा

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक–01 से 24 तक सभी नियम/शर्ते मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली है। मुझे समझा दी गई है तथा मुझे मान्य है। मैं उक्त निमय/शर्तो का पालन करने का वचन देता हूॅ।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम ....
स्थान ....
दिनांक ....

वचन–पत्र

मैं वचन देता हूॅ कि मुझे भवन आबंटन होने की स्थिति में :–

(1) मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगा/करूंगी।
(2) मैं मण्डल द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय–समय पर भारित होगें, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
(3) मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूगा/करूगी।
(4) इस कॉलोनी में मेरे परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को भवन अथवा प्रकोष्ठ भवन का आबंटन नहीं किया गया है अथवा आबंटन हेतु परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है।
(5) भवन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक जैसे नर्सिंग होम, दुकान, स्कूल, गोदाम, हॉस्टल, रेस्टारेन्ट, होटल इत्यादि के रुप में नहीं करेगा।
(6) आवेदन पत्र के कंडिका 01 से 12 तक तथा नियम/शर्तो के बिन्दु क्रमांक 01 से 24 तक सभी प्रकार के मण्डल के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम..
पता...
....
फोन नं. ....
मोबाईल नं. ....

नोट :-

1. जहां-जहां मण्डल का जिक्र किया गया है, उसका आशय संबंधित कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी से है।
2. परिवार का आशय पति/पत्नी एवं उनके आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता-पिता एवं भाई-बहिन।

आवेदक के हस्ताक्षर